# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 21 / 2025 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

| | | |
|---|---|---|
| सरकार जरिये ब्रिजेश सेठी प्रवर्तन निरीक्षक भीलवाडा | बनाम | 1. कालूराम बैरवा पुत्र लादूराम बैरवा निवासी लुहारिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा |
| –प्रार्थी | | –विपक्षी |

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से

## निर्णय

दिनांक 28.08.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि कालूराम बैरवा के परिसर का औचक निरीक्षण किया गया। मौके पर कालूराम बैरवा उपस्थित मिला। मौके पर 07 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 92.43 किग्रा गैस एवं 01 रिफलिंग मशीन पायी गयी। विपक्षी से इस संबंध में कागजात के लिए पूछा गया तो उन्होनें कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया। इस प्रकार आरोपी कालूराम बैरवा द्वारा घरेलू सिलेण्डर का एल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं। अतः कार्यवाही संबंधी पत्रादि प्रस्तुत करते हुए निवेदन हैं कि जब्तशुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 92.43 किग्रा गैस एवं 01 रिफलिंग मशीन को राजसात किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08.04.2025 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। विपक्षी के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाती हैं। प्रकरण में विभागीय पेरोकार की एक तरफा बहस सुनी गयी।

दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि निरीक्षण के दौरान आरोपी विपक्षी द्वारा घरेलू सिलेण्डर का एल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं। अतः कार्यवाही संबंधी पत्रादि प्रस्तुत करते हुए निवेदन हैं कि जब्तशुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 92.43 किग्रा गैस एवं 01 रिफलिंग मशीन को राजसात किये जाने का आदेश फरमावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तवेजात एवं विपक्षी द्वारा स्वयं पर्चा मौका

अति. जिला कलक्टर (राज.) भीलवाड़ा

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा